

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2018/फाल्गुन 22, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 465
No. 58]	DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2018/PHALGUNA 22, 1939	[N.C.T.D. No. 465

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 मार्च, 2018

सं. फा. 1/468/99/जी.ए./स्था./डीसी/पार्ट फा./423.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 अगस्त, 1996 की अधिसूचना सं.ओ. 572 (ई) के साथ पठित वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 83 उपधारा (1) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये उक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी विवाद के निर्धारण, प्रश्न या वक्फ या वक्फ संपत्ति से सम्बंधित अन्य मामले, किरायेदार की बेदखली या निर्धारण अधिकार तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति के पट्टेदार तथा पट्टेदारी की बाध्यताओं के लिये इस अधिसूचना की तिथि से निम्नलिखित व्यक्तियों सहित दिल्ली वक्फ अधिकरण का गठन करते हैं, अर्थात् :-

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | श्री गौरव राव, डीएचजेएस, एडीजे (नई दिल्ली) | : अध्यक्ष |
| 2 | श्री राजीव शुक्ला, दानिक्स | : सदस्य |
| 3 | श्री फैजी ओ. हाशमी | : सदस्य |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

पी.आर. कौशिक, उपसचिव (राजस्व)

REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 12th March, 2018

No, F.1(468)/99/GA/Estt./DC/Pt.file/423.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (4) of section 83 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995) read with Government of India, Ministry of Home Affairs' notification number S.O. 572 (E) dated the 19th August 1996, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to re-constitute the Delhi Waqf Tribunal for the National Capital Territory of Delhi for the determination of any dispute, question or other matter relating to a Waqf or Waqf property, eviction of a tenant or determination or rights and obligations of the lessor and the lessee of such property under the said Act, consisting of the following persons with effect from the date of notification, namely:-

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| 1. Shri Gaurav Rao DHJS, ADJ (ND) | : | Chairman |
| 2. Shri Rajeev Shukla, DANICS | : | Member |
| 3. Shri Faizi O Hashmi | : | Member |

By Order and in the Name of Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

P. R. KAUSHIK, Dy. Secy. (Revenue)